



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15875

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1741/2026

दुर्गावती देवीयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मुक्तेश कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर को अपील संख्या 16208/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी/202514360616208) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को उपरोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से करने तथा पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान न करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"